

HARYANA VIDHAN SABHA

Bill No. 9— HLA OF 2024

**THE HARYANA REGISTRATION AND REGULATION OF PRIVATE
COACHING INSTITUTES BILL, 2024**

A

BILL

to register and regulate private coaching institutes providing coaching for competitive examinations for higher studies, jobs and professional courses and for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Haryana Registration and Regulation of Private Coaching Institutes Act, 2024. Short title, extent and commencement.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Haryana.
- (3) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
2. In this Act, unless the context otherwise requires,- Definitions.
- (i) "Appellate Authority" means the Authority constituted under section 8;
- (ii) "Authority" means District Authority constituted under section 3;
- (iii) "educational institution" includes primary, secondary, technical and vocational institution, graduate and postgraduate college, professional college and university;
- (iv) "private coaching institute" means a private coaching institute in a single premises which includes tuition centre established, run or administered by any person or body of persons, society or trust or company providing study programme for competitive examinations, but does not include individual home tuitions upto fifty students per day and the regular courses conducted by the educational institutions recognized by the Central Government, State Government or by any other regulatory body;
- (v) "State Government" means the Government of the State of Haryana in the administrative department;
- (vi) "student" means a student enrolled in private coaching institute;
- (vii) "tuition fee" means tuition fee and includes all types of fees charged from a student by a private coaching institute;
- (viii) "university" means an university established by any Central or State law.

- Authority. 3. There shall be an Authority in each district to register and regulate the private coaching institutes consisting of the following members, namely:-
- (a) Deputy Commissioner - Chairperson;
 - (b) Superintendent of Police - Member;
 - (c) District Municipal Commissioner - Member;
 - (d) District Higher Education Officer - Member;
 - (e) District Education Officer - Member;
 - (f) Accounts Officer, to be nominated by the Chairperson - Member;
 - (g) Principal of one Government College of the district, to be nominated by the Chairperson - Member; and
 - (h) Two representatives of private coaching institutes in the district, to be chosen by a draw of lots amongst the private coaching institutes – Member.
- Powers and functions of Authority. 4. The Authority shall exercise the following powers and perform the following functions, namely:-
- (i) to ensure strict compliance of the provisions of this Act and the rules made and guidelines issued under this Act;
 - (ii) to constitute a Grievance Redressal Cell at the district level;
 - (iii) to curb malpractices of misleading advertisement and false claims including number of students selected in a particular exam by a private coaching institute; and
 - (iv) to inspect either suo moto or upon a complaint, any relevant record of a private coaching institute.
- Registration. 5. (1) Every private coaching institute established before the commencement of this Act shall get itself registered within a period of three months from the date of commencement of this Act in such manner, as may be prescribed.
- (2) Any person or group of persons or society or trust or company intending to establish a private coaching institute shall apply before the concerned District Authority in such form and manner alongwith such fee, as may be prescribed.
- (3) A private coaching institute having its branch within the State of Haryana shall obtain a separate registration certificate for such branch.
- (4) The following information shall be supplied by the applicant while applying for registration of a private coaching institute, namely: -
- (a) copy of prospectus mentioning different curriculum or part thereof duration of completion of curriculum with details of all types of fees including tuition fee, fee refund, easy exit and the number of lectures, tutorial, group discussions, test schedules etc.;

- (b) number of maximum students for each batch;
- (c) academic qualifications and bio-data of the teachers;
- (d) bio-data and experience of counselor;
- (e) detail of the coaching area with ratio to the number of students;
- (f) details of the following facilities, namely:-
 - (i) furniture, bench/desk etc.;
 - (ii) lighting arrangement;
 - (iii) potable drinking water;
 - (iv) separate toilets for male and female;
 - (v) fire safety measures;
 - (vi) first aid;
 - (vii) parking space;
 - (viii) reading room or library; and
- (g) any other information, as may be prescribed.

(5) The Authority or an officer authorised by the Chairperson in this behalf, shall scrutinize the documents submitted along with the application for registration within a period of thirty days from the date of application and subject to the conditions under sub-section (4) shall issue a registration certificate within a further period of fifteen days.

(6) The Authority may reject an application by stating a reason thereof in the order after giving the applicant a reasonable opportunity of being heard in case the applicant does not fulfill any of the conditions under sub-section (4):

Provided that the Authority may give reasonable time to fulfill the conditions to the applicant.

(7) The tenure of registration certificate shall be for a period of three years which may be renewed on an application made in this behalf, in such manner along with such fee, as may be prescribed.

6. The Authority shall constitute a Grievance Redressal Cell at the district level consisting of such members and in such manner, as may be prescribed. Grievance Redressal Cell.

7. Every private coaching institute shall engage atleast one full time counselor to address the mental health and stress related issues among the students. Counsellor.

8. (1) There shall be an Appellate Authority consisting of the following members, namely:- Appellate Authority.

- (i) Director/Director General, as the case may be, Higher Education Department - Chairperson;

- (ii) Chief Accounts Officer, Higher Education Department - Member;
- (iii) District Attorney, Higher Education Department - Member; and
- (iv) Additional Director or Joint Director, as the case may be, Higher Education Department - Member-Secretary.

(2) Any person aggrieved by an order passed under sub-section (6) of section 5 may file an appeal within a period of thirty days of the passing of such order before the Appellate Authority:

Provided that the Appellate Authority may entertain the appeal after the expiry of the said period of thirty days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(3) The Appellate Authority shall dispose of the appeal within forty-five days of filing of appeal after giving an opportunity of hearing to the parties.

(4) The decision of the Appellate Authority shall be final.

Prohibition of misleading advertisement.

9. No private coaching institute shall publish or cause to be published any misleading advertisement or give false information relating to coaching.

Penalty.

10. In case of violation of any of the provisions of this Act or the rules made or guidelines issued under this Act, a private coaching institute shall be liable for each such violation with a fine of twenty-five thousand rupees for the first violation; one lakh rupees for the subsequent violation and in case the violation still continues then the registration of private coaching institute shall be cancelled.

Act not to be in derogation of any other law.

11. The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.

Power to give directions.

12. The State Government may, from time to time, give such general or specific directions, in writing, as may be necessary, to the Authority for the effective implementation of the provisions of this Act.

Bar of jurisdiction.

13. No civil court shall have jurisdiction in respect of any matter which the State Government or any person or authority is empowered by or under this Act or the rules made thereunder.

Protection of action taken in good faith.

14. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or against any officer or employee acting on his behalf in respect of anything which is in good faith done or intended to be done under the provisions of this Act.

Power to issue guidelines.

15. The State Government may, from time to time, issue necessary guidelines for carrying out the purposes of this Act.

Power to make rules.

16. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall, as soon as possible, after it is made, be laid before the State Legislature.

17. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty: Power to remove difficulties.

Provided that no order under this section shall be made after expiry of a period of three years from the date of the commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Haryana, being a welfare State, is taking various welfare measures for students, teachers and all others stakeholders in the field of education.

Over the past few years, the State Government has addressed the core issues in education namely access, equity, quality, relevance and excellence.

It has been observed that competition in Education, Higher Education and jobs has risen manifold times over the past decade or so. This has resulted in setting up of coaching centres all over the country.

It has been felt that there is a need to bring a law for the registration and regulation of Private Coaching Institutions in Haryana so as to safeguard the interest of students and their guardians, to reduce stress among students enrolled in the Coaching Institutes and to provide better academic support to them in preparation of different competitive examinations and admissions into specialised institutions.

Hence, this Bill.

MOOL CHAND SHARMA,
Higher Education Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 22nd February, 2024.

R.K. NANDAL,
Secretary.

N.B.— The above Bill was published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 22nd February, 2024, under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Section 15 and 16 (1) of the bill "THE HARYANA REGISTRATION AND REGULATION OF PRIVATE COACHING INSTITUTES BILL, 2024" confer power to the State Government to issue guidelines and make rules for the purposes specified therein.

The powers delegated are normal and not of an exceptional character. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required in rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of Haryana Legislative Assembly is enclosed.

MOOL CHAND SHARMA,
Higher Education Minister, Haryana.

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2024 का विधेयक संख्या-9 एच०एल०ए०

हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024

उच्चतर अध्ययनों, नौकरियों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग उपलब्ध करवाने वाले निजी कोचिंग

संस्थानों को पंजीकृत और विनियमित करने

हेतु तथा इससे सम्बन्धित और उसके

आनुषंगिक मामलों

के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार तथा
प्रारम्भ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं।

(i) "अपीलीय प्राधिकरण" से अभिप्राय है, धारा 8 के अधीन गठित प्राधिकरण;

(ii) "प्राधिकरण" से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन गठित जिला प्राधिकरण;

(iii) "शैक्षणिक संस्थानों" में शामिल हैं प्राथमिक, माध्यमिक, तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान, स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालय, व्यावसायिक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय;

(iv) "निजी कोचिंग संस्थान" से अभिप्राय है, किसी एकल परिसर में कोई निजी कोचिंग संस्थान, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अध्ययन कार्यक्रम की व्यवस्था करवाने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की संस्था, सोसाइटी या न्यास या कंपनी द्वारा स्थापित, संचालित या प्रशासित ट्यूशन सेंटर भी शामिल हैं, किन्तु इसमें प्रतिदिन पचास छात्रों तक व्यक्तिक गृह ट्यूशन और केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार द्वारा या किसी अन्य विनियामक निकाय द्वारा मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा संचालित नियमित पाठ्यक्रम शामिल नहीं हैं;

(v) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

- (vi) "छात्र" से अभिप्राय है, निजी कोचिंग संस्थान में नामांकित कोई छात्र;
- (vii) "ट्यूशन फीस" से अभिप्राय है, ट्यूशन फीस और इसमें किसी निजी कोचिंग संस्थान द्वारा किसी छात्र से प्रभारित की गई सभी प्रकार की फीसों भी शामिल हैं;
- (viii) "विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है, किसी केन्द्रीय या राज्य विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय।

प्राधिकरण।

3. प्रत्येक जिला स्तर पर निजी कोचिंग संस्थान को पंजीकृत और विनियमित करने हेतु निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाला एक प्राधिकरण होगा, अर्थात्:-

- (क) उपायुक्त - अध्यक्ष;
- (ख) पुलिस अधीक्षक - सदस्य;
- (ग) जिला नगर आयुक्त - सदस्य;
- (घ) जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारी - सदस्य;
- (ङ) जिला शिक्षा अधिकारी - सदस्य;
- (च) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला लेखा अधिकारी - सदस्य;
- (छ) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला जिले के एक राजकीय महाविद्यालय का प्रधानाचार्य - सदस्य; तथा
- (ज) जिले में निजी कोचिंग संस्थानों में से झा ऑफ लॉटस द्वारा चुने जाने वाले निजी कोचिंग संस्थानों के दो प्रतिनिधि - सदस्य।

प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्य।

4. प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:-

- (i) इस अधिनियम और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और जारी किए गए दिशा-निर्देशों के उपबन्धों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करना;
- (ii) जिला स्तर पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन करना;
- (iii) किसी निजी कोचिंग संस्थान द्वारा किसी विशेष परीक्षा में चयनित छात्रों की संख्या सहित भ्रामक विज्ञापनों और मिथ्या दावों के अनाचार पर अंकुश लगाना;
- (iv) या तो स्वप्रेरणा से या किसी शिकायत पर, किसी निजी कोचिंग संस्थान के किसी भी सुसंगत रिकार्ड का निरीक्षण करना।

पंजीकरण।

5. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व स्थापित प्रत्येक निजी कोचिंग संस्थान इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, स्वयं को पंजीकृत करवाएगा।

(2) किसी निजी कोचिंग संस्थान को स्थापित करने के लिए आशयित कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या सोसाइटी या न्यास या कंपनी को ऐसे प्ररूप और रीति में ऐसी फीस, जो विहित की जाए, के साथ सम्बद्ध जिला प्राधिकरण के सम्मुख आवेदन करना होगा।

(3) हरियाणा राज्य के भीतर अपनी शाखा रखने वाले निजी कोचिंग संस्थान को ऐसी शाखा के लिए अलग से पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

(4) किसी निजी कोचिंग संस्थान के पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय आवेदक द्वारा निम्नलिखित सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी, अर्थात्:-

(क) ट्यूशन फीस, फीस का प्रतिदाय, आसान बहिर्गमन और व्याख्यानों की संख्या, शैक्षणिक, समूह चर्चा, परीक्षा समय-सारणी इत्यादि सहित सभी प्रकार की फीसों के ब्योरों सहित पाठ्यक्रमों के पूरा होने की अवधि, विभिन्न पाठ्यक्रम या उनके भाग वर्णित करते हुए विवरण-पुस्तिका की प्रति;

(ख) प्रत्येक बैच के लिए छात्रों की अधिकतम संख्या;

(ग) अध्यापकों की शैक्षणिक योग्यताएं और जीवनवृत्त;

(घ) सलाहकार का जीवनवृत्त और अनुभव;

(ङ) छात्रों की संख्या के अनुपात के साथ कोचिंग क्षेत्र का ब्योरा;

(च) निम्नलिखित सुविधाओं के ब्योरे, अर्थात् :-

(i) फर्नीचर, बेंच/मेज इत्यादि;

(ii) प्रकाश की व्यवस्था;

(iii) पीने योग्य स्वच्छ जल;

(iv) पुरुष और महिला के लिए पृथक् शौचालय;

(v) अग्नि सुरक्षा उपाय;

(vi) प्राथमिक चिकित्सा;

(vii) पार्किंग स्थल;

(viii) पठन कक्ष या पुस्तकालय; तथा

(छ) कोई अन्य सूचना, जो विहित की जाए।

(5) प्राधिकरण या इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, आवेदन की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की संवीक्षा करेगा और उपधारा (4) के अधीन शर्तों के अधधीन, पन्द्रह दिन की और अवधि के भीतर पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(6) यदि आवेदक उपधारा (4) के अधीन किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है, तो प्राधिकरण, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, आदेश में उसके कारण कथित करते हुए आवेदन को रद्द कर सकता है:

परन्तु प्राधिकरण, आवेदक को शर्तों को पूरा करने के लिए युक्तियुक्त समय दे सकता है।

(7) पंजीकरण प्रमाण-पत्र की अवधि तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी, जिसे इस सम्बन्ध में किए गए आवेदन पर ऐसी रीति में ऐसी फीस सहित, जो विहित की जाए, नवीकृत किया जा सकता है।

शिकायत निवारण प्रकोष्ठ।

6. प्राधिकरण, जिला स्तर पर ऐसे सदस्यों से मिलकर बनने वाली शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, गठन करेगा।

सलाहकार।

7. प्रत्येक निजी कोचिंग संस्थान छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और तनाव सम्बन्धी मुद्दों का समाधान करने के लिए कम से कम एक पूर्ण-कालिक सलाहकार नियोजित करेगा।

अपीलीय प्राधिकरण।

8. (1) निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनाने वाला एक अपीलीय प्राधिकरण होगा, अर्थात्:-

(i) निदेशक/महानिदेशक, जैसी भी स्थिति हो, उच्चतर शिक्षा विभाग - अध्यक्ष;

(ii) मुख्य लेखा अधिकारी, उच्चतर शिक्षा विभाग - सदस्य;

(iii) जिला न्यायवादी, उच्चतर शिक्षा विभाग - सदस्य; तथा

(iv) अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, उच्चतर शिक्षा विभाग - सदस्य-सचिव।

(2) धारा 5 की उप-धारा (6) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश को पारित करने की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर अपीलीय प्राधिकरण के सम्मुख अपील दायर कर सकेगा:

परन्तु अपीलीय प्राधिकरण उपरोक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील ग्रहण कर सकता है, यदि इसकी सन्तुष्टि हो जाती है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।

(3) अपीलीय प्राधिकरण, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद अपील दायर करने के पैंतालीस दिन के भीतर अपील का निपटान करेगा।

(4) अपीलीय प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

भ्रामक विज्ञापन का प्रतिषेध।

9. कोई भी निजी कोचिंग संस्थान, कोचिंग से सम्बन्धित कोई भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा या प्रकाशित नहीं करवाएगा अथवा मिथ्या सूचना नहीं देगा।

शास्ति।

10. इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए दिशा-निर्देशों के किन्हीं उपबन्धों की उल्लंघना के मामले में, निजी कोचिंग संस्थान, प्रथम उल्लंघना के लिए प्रत्येक ऐसी उल्लंघना हेतु पच्चीस हजार रूपए, पश्चात्पूर्ती उल्लंघना के लिए एक लाख रूपए के जुर्माने से दायी होगा और यदि उल्लंघना फिर भी जारी रहती है, तो निजी कोचिंग संस्थान का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

- 11.** इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में। अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना।
- 12.** राज्य सरकार, समय-समय पर, इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्राधिकरण को लिखित में ऐसे सामान्य या विशिष्ट निर्देश, जो आवश्यक हों, दे सकती है। निर्देश देने की शक्ति।
- 13.** किसी भी सिविल न्यायालय के पास ऐसे किसी मामले के सम्बन्ध में अधिकारिता नहीं होगी, जिसके लिए राज्य सरकार या कोई अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अथवा के अधीन सशक्त है। अधिकारिता का वर्जन।
- 14.** इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के सम्बन्ध में राज्य सरकार या इस निमित्त कार्यरत किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।
- 15.** राज्य सरकार, समय-समय पर, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगी। दिशा-निर्देश जारी करने की शक्ति।
- 16.** (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति।
- (2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथा शीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।
- 17.** (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्वसंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इसे ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों: कठिनाई दूर करने की शक्ति।
- परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।
- (2) उप-धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते, हरियाणा, शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों, शिक्षकों और अन्य सभी हितधारकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी कदम उठा रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार ने शिक्षा में प्रमुख मुद्दों जैसे पहुंच, समानता, गुणवत्ता, प्रासंगिकता और उत्कृष्टता पर ध्यान दिया है।

यह देखा गया है कि पिछले एक दशक में शिक्षा, उच्च शिक्षा और नौकरियों में प्रतिस्पर्धा कई गुना बढ़ गई है। इसके परिणामस्वरूप पूरे देश में कोचिंग संस्थानों की स्थापना हुई है।

यह महसूस किया गया है कि हरियाणा में निजी कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण और विनियमन के लिए एक कानून लाने की आवश्यकता है ताकि छात्रों और उनके अभिभावकों के हितों की रक्षा की जा सके, निजी कोचिंग संस्थानों में पंजीकृत छात्रों के बीच तनाव को कम किया जा सके और बेहतर शैक्षणिक सुविधा प्रदान की जा सके और उन्हें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और विशिष्ट संस्थानों में प्रवेश में सहायता प्रदान करना की जा सके।

अतः बिल प्रस्तुत है।

मूल चंद शर्मा,
उच्चतर शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 22 फरवरी, 2024

आर० के० नांदल,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 22 फरवरी, 2024 के हरियाणा गवर्नमेंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

प्रत्यायोजित विधान के बारे ज्ञापन

हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024 की धारा 15 एवं 16 (1) में उसमें निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए दिशा निर्देश जारी करने एवं नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान करती है।

सौंपी गई शक्तियां सामान्य हैं और असाधारण प्रकृति की नहीं हैं। इसलिए हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 126 में अपेक्षित प्रतिनिधि कानून के बारे में ज्ञापन संलग्न है।

मूल चंद शर्मा,
उच्चतर शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

